

**THE UNITED PROVINCES
PROVINCIALIZATION OF HOSPITALS ACT,
1947¹**

[U. P. ACT No. VIII OF 1947]

Adopted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950.

[Passed by the U. P. Legislative Assembly on February 10, 1947 and the U. P. Legislative Council on February 24, 1947.]

Received the assent of the Governor General on April 11, 1947 and was published² under section 76 of the Government of India Act, 1935 on April 26, 1947.]

AN

ACT

*To provide for the provincializaation of
hospitals*

Whereas it is expedient to provide for the provincializaion of certain hospitals by the transfer of their ownership to [Government]³ and of the administration, control, maintenance and management thereof to the [State Government].⁴

U.P. act no. IV And whereas an Act to this effect, namely, the United Provinces Provincialization of of 1945 Hospitals Act, 1945, was passed by the Governor during the period the proclamation, dated the 3rd day of November, 1939, promulgated under section 93 of the Government of India Act, 1935 was in force';

U.P. act no. IV And whereas the said United Provinces Provincialization of Hospitals Act, 1945 is of 1945 still in force but will not remain in force after a period of two years has expired from the date of withdrawal of the proclamation of November 3, 1939, and it is necessary to make provision for the continuance of the said Act ;

U.P. act no. IV And whereas it is also necessary to amend the said United Provinces Provincialization of 1945 of Hospitals Act, 1945 in certain respect;

It is hereby enacted as follows :--

Short title, 1- (1) This Act may be called the United Provinces Provincialization of Hospitals Act, extent and 1947.
commencement (2) It extends to the whole of [Uttar Pradesh].⁵
Pradesh.]⁵ (3) This Act shall come into force at once.

Definition 2- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context ---

 (a) "hospital" includes a veterinary hospital, sanatorium and all lands, buildings, fixture" dispensaries, medicines, stores, equipment, furniture and other articles appurtenant to the hospital or the sanatorium;

 (b) "local authority" means a municipal board, district board notified area committee or town area committee but does not include a cantonment authority in any cantonment area ;

----- 1-For S. O. R. see Gaz. d. January 4, 1947, Pt. VII, pp. I-2.

The Act has been extended to the merged State of Rampur by the Rampur (Application of Laws) Act, 1950 and to the merged State of Banaras and Tehri-Garhwal by the Banaras (Application of Laws) Order, 1949 and Tehri-Garhwal (Application of Laws) Order, 1949, respectively.

2. See Gaz., d. April 26, 1947, Pt VII-A.
pp. 7-9.

3. Subs. by the A. O. 1950 for [His Majesty].

4. Subs by. ibid for (Provincial Government).

5. Subs. by *ibid* for (the United provinces)

[The United Provinces Provincialization of Hospitals Act, 1947]

[Section 3-4]

Vesting of hospitals in Government in, or any clause U.P. act no. II of 1916 section in	(c) "prescribed" means prescribed by [State Government] ¹ under this Act. (1) The [State Government] ¹ may by [notification] ² in the official Gazette, direct that, with effect from such date as may be specified therein and on such conditions and exceptions as may be prescribed, any hospital which is vested is under the control or administration of any local authority or any Trust or other authority managing a hospital, shall, notwithstanding the provisions of (a) of section 116 of the United Provinces Municipalities Act, 1916 or of 146 of the United Provinces District Boards Act, 1922 or anything contained in
U.P.act no. II of 1916	any other law for the time being in force, [be vested in the State Government] ³ :
notification local	Provided that before issuing such notification the [State Government] ¹ shall give such notice as it considers reasonable of its intention to issue such and shall consider any objection or suggestion that may be put forward by the authority concerned or any person. (2) Subject as aforesaid, all rights and liabilities of the local authority or Trust or any other authority referred to in sub-section (1) in or appertaining to or arising out of property covered by the notification issued under that sub-section shall, with effect from the date mentioned in the notification, passed and be transferred to [the [State Government] ⁴ for the purposes of the [State] ⁵ and the [State Government] ¹ shall from such date be in charge of the administration, control, maintenance and management of the said property.
Vesting of endowments fund appertaining to those to a hospital the	(1) All endowments or funds, which appertained to or were appropriated for the purposes of any hospital immediately before it was vested in [the State and Government under section] ⁶ shall be vested in [the State Government] ⁷ and continue to be applied by the [State Government] ¹ to the same purposes as which they were lawfully applicable immediately before the date when endowment or fund concerned was so vested. (2) If any local authority, not being the authority under which the control of the hospital which is taken over by the [State Government] ¹ is vested, is required by any law for the time being in force or by any agreement mutually agreed upon to make any contribution towards the maintenance of the hospital, then the [State Government] ¹ may, require the local authority concerned to make a contribution, either of the entire sum or of any lesser sum as the [State Government] ¹ may decide to the [State] ⁸ Revenues towards the expenses of the Hospital.

1- Subs. by A. O. 1950 for (Provl. Govt.).

2-For vesting the Lady Lyall and Duffer in Hospital, Agra, absolutely and unconditionally in the State Government, see not. no. 7053-A/V-365-48, d. Jan. 5, 1950 in Gaz. 1950, Pt. I, p. IS.

3-Subs. by the A. O. 1950 for [His Majesty for the purposes of the Province).

4-Subs. by the A. O. 1950 for [His Majesty].

5-Subs. by *ibid* for (Province).

6-Subs. by the A. O. 1950 for (His Majesty under section 3).

7-Subs. by *ibid* for (His Majesty for those purposes).

8-Subs. by ibid for (Provincial).

[The United Provinces Provincialization of Hospitals Act, 1947]
8]

[Section 5-

Levy of fees the State Government in other respect of a section, hospital Compensation set	5-	Subject to the prescribed conditions and rates the [State Government] ¹ may by levy fees or other charges in respect of any hospital vested in the [State Government] ² under section 3 of the same nature as the local authority or body concerned, could but for the issue of a notification under the said have levied.
	6-	Nothing in this Act shall be deemed to authorize the acquisition of any private right interest in any hospital, or in any portion thereof, without the payment of compensation in the manner and in accordance with the principles hereinafter out, that is to say- (a) where the amount of compensation can be fixed by agreement, it shall be paid in accordance with such agreement; (b) where no such agreement can be reached it shall be determined in the prescribed manner by an arbitrator of prescribed qualification appointed by the [State Government] ¹ ; (c) the arbitrator in assessing the compensation take into considerations (i) in case of immovable property, the original cost of construction and the cost of any subsequent addition or alteration and in case of movable property, the original cost of purchase, and (ii) depreciation on account of wear and tear : Provided that the arbitrator shall not take into consideration any appreciation in the value of materials, buildings or land on account of wartime conditions ; (d) the provisions of the Indian Arbitration Act, 1940 shall apply to the arbitration proceedings as far as the same can be made applicable.
Act No. X of 1940		
Power to make rules	7-	(1) The [State Government] ¹ may make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for -- (a) the conditions and exceptions referred to in sub-section (1) of section 3; (b) the administration, control, maintenance and management of the property referred to in sub-section (2) of section 3; (c) the conditions and rates referred to in section 5; and (d) the matter which may be prescribed under clause (b) of section 6.
Repeals and savings deemed to U.P. Act No. IV of 1945	8-	The United Provinces Provincialization of Hospitals Act, 1945 is hereby repealed and anything done under the provisions of the said Act shall be have been done under the corresponding provisions of this Act.

1-Subs. by the A. O. 1950 for (Prov.
Govt.)

2-Subs. by the A. O. 1950 for [His
Majesty].

संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम, 1947¹

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 08 वर्ष 1947]

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव असम्बली ने 10 फरवरी, 1947 ई० को तथा संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 24 फरवरी, 1947 ई० को पास किया।

गवर्नर जनरल की स्वीकृति 11 अप्रैल, 1947 ई० को प्राप्त हुई और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 ई० की धारा 76 के अधीन यह दिनांक 26 अप्रैल, 1947 ई० को प्रकाशित² किया गया।

चिकित्सकों के प्रान्तीयकरण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि कतिपय चिकित्सालयों का स्वामित्व [सरकार]³ को तथा उनका प्रशासन, प्रस्तावना नियंत्रण अनुरक्षण और प्रबन्ध [राज्य सरकार]⁴ को अन्तर्गत करके उनके प्रान्तीयकरण की व्यवस्था की जाय;

और, इस आशय का एक अधिनियम, अर्थात्, यूनाइटेड प्राविन्सेज प्राविन्शियलाइजेशन ऑफ यू० पी० ऐक्ट संख्या 4, 1945 हास्पिटल्स ऐक्ट, 1945 गवर्नर द्वारा उस अवधि में पारित किया गया था जब गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 के अधीन प्रख्यापित दिनांक 3 नवम्बर, 1939 की उद्घोषणा प्रवृत्त थी;

और उक्त यूनाइटेड प्राविन्सेज प्राविन्शियलाइजेशन आफ हास्पिटल्स ऐक्ट 1945 अब भी प्रवृत्त है किन्तु 3 नवम्बर, 1936 की उद्घोषणा के वापस लिए जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगा और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को जारी रखने के लिए व्यवस्था की जाय;

और यह भी आवश्यक है कि कतिपय विषयों के सम्बन्ध में उक्त यूनाइटेड प्राविन्सेज 4, 1945 प्राविन्शियलाइजेशन ऑफ हास्पिटल्स ऐक्ट, 1945 को संशोधित किया जाय;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

1—(1) वह अधिनियम संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम, 1947 कहलाएगा।
तथा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण [उत्तर प्रदेश]⁵ में होगा।

(3) यह अधिनियम तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2— जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—
परिभाषाएं

“चिकित्सालय” के अन्तर्गत कोई पशु-चिकित्सालय, सेनिटोरियम और ऐसी सभी भूमि, भवन, फिक्सचर, औषधालय, औषधियाँ, भण्डार, उपस्कर, फर्नीचर तथा अन्य वस्तुएं, जो चिकित्सालय या सेनिटोरियम से अनुबद्ध हो, भी हैं;

(ख) “स्थानीय प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी नगरपालिका बोर्ड, जिला बोर्ड, जिला बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी से है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी छावनी क्षेत्र में छावनी प्राधिकारी नहीं आता;

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट, दिनांक 4 जनवरी, 1947, भाग 7, पृष्ठ 1—2 देखिए। रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950 द्वारा यह अधिनियम रामपुर के विलीन राज्य पर प्रभावी किया गया तथा बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1949 एवं टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1949 द्वारा क्रमशः बनारस तथा टिहरी-गढ़वाल के विलीन राज्य पर प्रभावी किया गया। 2. गजट दिनांक 26 अप्रैल, 1947 का भाग 7, पृष्ठ 7—9 देखिए।

3.

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (हिज मजिस्ट्री) के लिए प्रतिस्थापित। 4. उपर्युक्त द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

5. उपर्युक्त द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।

[संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम, 1947]

[धारा 3—4]

(ग) “विहित” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन [राज्य सरकार]¹ द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है।

3—(1) [राज्य सरकार]¹, सरकारी गजट में [अधिसूचना]² द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसे राज्य दिनांक से, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय और उन शर्तों तथा अपवादों के साथ, जो विहित किए हों

चिकित्सालयों का सरकार में निहित

जाएं, कोई चिकित्सालय, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्यास में या चिकित्सालय का प्रबन्ध 02 वर्ष करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी में निहित हो या उसके नियंत्रण या प्रशासन में हो, यूनाइटेड प्राविसेज 1916 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 ई० की धारा 116 के खण्ड (क) के अथवा यूनाइटेड प्राविसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 की धारा 146 के उपबन्धों के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी [राज्य सरकार]³ में निहित हो जाएगा;

यू० पी० ऐक्ट सं०

02 वर्ष

यू० पी० ऐक्ट सं० 1916

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी करने के पूर्व [राज्य सरकार]⁴ ऐसी अधिसूचना जारी

करने के अपने आशय के सम्बन्ध में ऐसा नोटिस देगी, जो यह उचित समझे और ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगी, जो सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी या कोई व्यक्ति प्रस्तुत करे।

(2) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकारी या न्यास या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे सभी अधिकार और दायित्व, जो उस उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति में हो या उससे अनुबद्ध या उद्भूत हों, अधिसूचना में उल्लिखित दिनांक से [राज्य]⁶ के प्रयोजनों के लिए [राज्य सरकार]⁴ को संक्रान्त तथा अन्तरित हो जाएंगे और ऐसे दिनांक से उक्त सम्पत्ति का प्रशासन, नियंत्रण, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध [राज्य सरकार]¹ के प्रभार में होगा।

4—(1) वे सभी विन्यास या निधियाँ, जो किसी चिकित्सालय के [धारा 3 के अधीन राज्य चिकित्सालय से अनुबद्ध सरकार]⁶ में निहित होने के ठीक पूर्व, उससे अनुबद्ध हो या जिनका उसके प्रयोजन के लिए विनियोग विन्यासों तथा निधियों का किया गया हो, [राज्य सरकार]⁷ में निहित हो जाएगी और [राज्य सरकार]¹ द्वारा उनका प्रयोग उन्हीं निहित होना प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा, जिनके लिए वे उस दिनांक के ठीक पूर्व जब सम्बद्ध विन्यास या निधि इस प्रकार निहित हुई हो, वैध रूप से प्रयोज्य थी।

(2) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी से, जो ऐसा प्राधिकारी न हो, जिसके अधीन किसी ऐसे चिकित्सालय का नियंत्रण निहित हो, जिसे [राज्य सरकार]¹ ने अपने अधिकार में ले लिया हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या किसी परस्पर सम्मत करार द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह उस चिकित्सालय के अनुरक्षण के लिए कोई अभिदाय करे तो [राज्य सरकार]¹ सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह चिकित्सालय के व्यय के लिए सम्पूर्ण धनराशि का या उससे कम धनराशि का, जैसा कि [राज्य सरकार]¹ विनिश्चित करे, [राज्य]⁸ के राजस्व में अभिदाय करे।

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
2. लेडी ल्याल तथा डफरिन हास्पिटल, आगरा को राज्य सरकार में पूर्णतया तथा बिना शर्त विहित करने हेतु गजट 1950, भाग 1, पृष्ठ 15 पर विज्ञप्ति सं० 7053—ए/5—365—48, दिनांक 5 जनवरी, 1950 देखिए।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (हिज मजिस्ट्री फार दि परपजेज आफ द प्राविंस) के लिए प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त द्वारा (हिज मजिस्ट्री) के लिए प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त द्वारा (प्राविन्स) के लिए प्रतिस्थापित।
6. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (धारा 3 के अन्तर्गत हिज मजिस्ट्री) के लिए प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त द्वारा (हिज मजिस्ट्री फार दि परपजेज) के लिए प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त द्वारा (प्राविन्स) के लिए प्रतिस्थापित।

[संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम, 1947]

[धारा 5—8]

5— विहित शर्तों और दरों के अधीन रहते हुए [राज्य सरकार]² धारा 3 के अधीन [राज्य चिकित्सालय के सम्बन्ध में सरकार]¹ में निहित किसी चिकित्सालय के सम्बन्ध में उसी प्रकार की फीसों और परिव्यय उद्गृहीत कर राज्य सरकार द्वारा फीसों

सकेगी, जो सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी या अन्य निकाय उस दशा में उद्गृहीत कर सकता था, जब का उद्ग्रहण उक्त धारा के अधीन अधिसूचना जारी न की गई होती।

6— इस अधिनियम की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह एतदपश्चात् उपवर्णित रीति और सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किए बिना ही किसी चिकित्सालय में या उसके किसी 10 वर्ष भाग में निजी अधिकार या हित का अर्जन प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

प्रतिकर
यू० पी० ऐक्ट सं०
1940

(क) जहाँ कि प्रतिकर की धनराशि करार द्वारा नियत की जा सकती है, वहाँ उसका भुगतान ऐसे करार के अनुसार किया जाएगा;

(ख) जहाँ कि ऐसा कोई करार न हो सके, वहाँ प्रतिकर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा नयुक्त किया गया विहित अर्हता वाला मध्यस्थ, विहित रीति से अवधारित करेगा;

(ग) प्रतिकर को धनराशि के निर्धारण में मध्यस्थ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा—

(एक) स्थावर सम्पत्ति की दशा में, निर्माण की मूल लागत और वाद के किसी परिवर्द्धन या परिवर्तन की लागत तथा जंगम सम्पत्ति की दशा में, उसकी खरीद की मूल लागत; और

(दो) टूट-फूट के कारण होने वाला अवक्षयण;

प्रतिबन्ध यह है कि मध्यस्थ युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण सामग्री, भवनों या भूमि के मूल्य में हुई किसी वृद्धि पर ध्यान नहीं देगा;

(घ) भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्ध, जहाँ तक कि वे लागू किए जा सके, मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

7—(1) [राज्य सरकार]¹, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शक्ति बना सकेगी।

नियम बनाने की

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की जा सकेगी —

(क) धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें और अपवाद;

(ख) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सम्पत्ति का प्रशासन, नियंत्रण, अनुरक्षण और प्रबन्ध;

(ग) धारा 5 में निर्दिष्ट शर्तें एवं दरें; और

(घ) वे विषय, जो धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन विहित किए जायें।

8— यूनाइटेड प्राविसेज प्राविन्शियल लाइजेशन ऑफ हास्पिटल्स ऐक्ट, 1945 एतद्वारा निरसित व्यावृत्तियाँ किया जाता है और उक्त ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन की गई किसी बात के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तस्थानी उपबन्धों के अधीन की गई है।

निरसन तथा
यू0पी ऐक्ट सं0
1945

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा (हिज मजिस्ट्री) के लिए प्रतिस्थापित।

